



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

कार्यालय
वन मण्डल विदिशा

ई-मेल. dfotvidisha@mp.gov.in, दूरभाष- 07592- 232967, फ़ैक्स- 236976

क्रमांक / मा0चि0 / 1578

विदिशा, दिनांक 24/08/2023

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
संजय सागर परियोजना,
बाह नदी संभाग, गंजबासौदा,
जिला-विदिशा,

विषय:- जिला विदिशा अंतर्गत सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 70.880 हेक्टेयर वनभूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंज बासौदा, जिला विदिशा को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ:- वन संरक्षक, भोपाल वृत्त, भोपाल का पत्र क्रमांक / मा.चि. / 5012 दिनांक 21/08/2023।

—00—

विषयांतर्गत ऑनलाईन प्रकरण वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव का परीक्षण करने पर संदर्भित पत्र द्वारा निम्नानुसार कमियाँ/त्रुटिया पायी गयी :-

1. निर्धारित प्रारूप भाग 1 अ.क्र.C (iv) के तारतम्य में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के upload Geo reference map में अंकित अक्षांश देशांश के पाईट 20,25,26 एवं 28 सही क्रम में अंकित नहीं है सही क्रम में अंकित कर हार्ड कॉपी इस कार्यालय को प्रस्तुत करे।
2. निर्धारित प्रारूप भाग 1 अ.क्र.L(iv) 1(1) के तारतम्य में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र सांकलोन के Ownership proof में कलेक्टर हस्तांतरण आदेश ग्राम कांजीखेडी का अपलोड किया गया है कृपया ग्राम सांकलोन का कलेक्टर का हस्तांतरण आदेश अपलोड करे।
3. निर्धारित प्रारूप भाग 1 अ.क्र.L(iv)2(d) में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र धरमपुर के खसरा क्रमांक 44,45,46,47,48, एवं 49 लेख किया गया है। जबकि प्रकरण में उक्त ग्राम के खसरा क्रमांक 48 एवं 49 का रकबा ही वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।
4. निर्धारित प्रारूप भाग 1 अ.क्र.L(iv)2(1) के तारतम्य में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र धरमपुर के Ownership proof में कलेक्टर हस्तांतरण आदेश ग्राम कांजीखेडी का अपलोड किया गया है। कृपया ग्राम धरमपुर का कलेक्टर का हस्तांतरण आदेश अपलोड करे।
5. निर्धारित प्रारूप भाग 1 अ.क्र.M(ii) (a) के तारतम्य में upload CAT Plan ओपन नहीं हो रहा है।
6. निर्धारित प्रारूप भाग 1 अ.क्र.M(ii) (b) के तारतम्य में upload Approved CAT Plan ओपन नहीं हो रहा है।

कृपया प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर, उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्तियाँ/समाधान उपरांत, आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर, पूर्ण रूपेण प्रस्ताव ऑन लाईन,

प्रस्तुत कर, प्रस्ताव की हार्ड कापी 4 प्रतियों में मय हस्ताक्षर। प्रस्ताव में समस्त सुसंगत अभिलेख सिलसिलेवार लगाकर पेजिंग कर उसी दिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे ताकि वरिष्ठ कार्यालय को प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

de

Om
वन मंडलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा

पृ0क्रमांक/मा0चि0/1579

विदिशा, दिनांक 24/08/2023

प्रतिलिपि:- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(कक्ष भू-प्रबंध) सतपुडा भवन, भोपाल को सूचनार्थ संप्रेषित।
2. वन संरक्षक, भोपाल वृत्त, भोपाल को आपके संदर्भित पत्र क्रमांक/मा.चि. /5012 दिनांक 21/08/2023 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित।

de

Om
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, विदिशा